



UPBB010003332025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट) बाराबंकी।

पीठासीन अधिकारी-असद अहमद हाशमी, (एच०जे०एस०) – UP6327

सत्र वाद संख्या-124/2025

राज्य उत्तर प्रदेश

..... अभियोजन पक्ष।

बनाम

वशीम पुत्र स्व० मो० सलीम, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी ग्राम कैथी, थाना सुबेहा, जिला बाराबंकी।
..... अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या-820/2021

धारा-138(1)(b) विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003

थाना-एंटी पावर थेफ्ट, जिला बाराबंकी।

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त वशीम के विरुद्ध थाना एंटी पावर थेफ्ट, जिला बाराबंकी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-820/2021, धारा-138(1)(b) विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003, के अन्तर्गत प्रेषित आरोप पत्र पर संज्ञान लिए जाने के उपरान्त विचारण प्रारम्भ किया गया।

अभियोजन पक्ष का संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि दिनांक 25.06.2021 को समय लगभग 11.25 बजे, बहद ग्राम कैथी, थाना सुबेहा, जिला बाराबंकी, में वादी मुकदमा सुजीत कुमार तिवारी अवर अभियन्ता व उनकी टीम के अन्य सदस्यों द्वारा चेकिंग किये जाने के दौरान अभियुक्त वशीम अपने परिसर पर बिना बकाया विद्युत बिल जमा किये पूर्व में विच्छेदित किये गये संयोजन को अनाधिकृत रूप से विद्युत केबिल जोड़कर विद्युत का उपभोग करते हुए पाये गये। वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना एंटी पावर थेफ्ट, जिला बाराबंकी में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनियम (संशोधन), 2003 न्यायालय प्रेषित किया गया।

अभियुक्त को धारा-207 दंड प्र० सं० के अन्तर्गत अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियाँ प्रदान की गयीं तथा उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर उसे धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनियम (संशोधन), 2003 के आरोप से आरोपित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की माँग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डब्लू०-1 अतुल श्रीवास्तव कार्यकारी सहायक विद्युत वितरण खण्ड घोसियाना जिला बाराबंकी को परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में मूल तहरीर प्रदर्श क-1 को साबित कराया गया है। बचावपक्ष द्वारा शेष अभियोजन प्रपत्रों चिक एफ०आई०आर०, कायमी जी०डी०, नक्शा नजरी व आरोप पत्र की सत्यता को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप उन पर क्रमशः प्रदर्श क-2 ता प्रदर्श क-5 अंकित किये जाने के उपरान्त अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियुक्त का बयान धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें उसने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता स्वीकार की तथा गवाह के विभागीय होने के कारण विपरीत साक्ष्य देने का कथन किया एवं मुकदमा उसके विरुद्ध अपने परिसर पर बिना बकाया विद्युत बिल जमा किये पूर्व में विच्छेदित किये गये संयोजन को अनाधिकृत रूप से विद्युत केबिल जोड़कर विद्युत का उपभोग किये जाने का कथन करते हुए अतिरिक्त कथन में कहा है कि उसके द्वारा विद्युत विभाग में मुकदमे से संबंधित बकाया राजस्व निर्धारण व शमन शुल्क जमा कर दिया गया है। मुकदमे से संबंधित देय शेष नहीं है।

अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.-1 अतुल श्रीवास्तव ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं वादी मुकदमा सुजीत कुमार तिवारी (तत्कालीन अवर अभियंता) को भली भांति जानता व पहचानता हूँ, ये मेरे साथ जनपद में कार्यरत रहे हैं। कार्यालय पर मैंने इन्हे लिखते पढ़ते देखा है, मैं इनके हस्ताक्षर व हस्तलेख से भलीभांति परिचित हूँ। पत्रावली में शामिल छायाप्रति तहरीर कागज संख्या अ 5/3 पर जांच टीम के अन्य सदस्यों के साथ उनके भी हस्ताक्षर भी बने हैं। जिसकी पहचान कर मैं उसे प्रमाणित करता हूँ। साक्षी द्वारा प्रमाणित वादी मुकदमा के हस्ताक्षर युक्त तहरीर पर प्रदर्श क-1 अंकित किया गया।

जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि अभियुक्त के परिसर पर की गयी जांच दिनांकित 25.06.2021 से संबंधित दर्ज अपराध के सापेक्ष अभियुक्त द्वारा राजस्व बकाया सहित प्रकरण से संबंधित राजस्व निर्धारण मु० 536/- रूपया जरिये रसीद संख्या 883203794799 दिनांक 24.02.2025 को एवं वांछित शमन शुल्क मु० 2000/-रूपया जरिये रसीद संख्या 883680981768 दिनांक 24.02.25 को जमा कर संबंधित विद्युत वितरण खण्ड हैदरगढ़ द्वारा उक्त विवरण अंकित करते हुए अदेयता पत्रांक संख्या 811 दिनांकित 24.02.2025 जारी किया गया है जो तत्कालीन अधिशासी अभियंता पी० के० गौतम द्वारा हस्ताक्षरित है। अभियुक्त का मुकदमे से संबंधित कोई बकाया शेष नहीं है।

बचाव पक्ष की ओर से विद्युत विभाग द्वारा जारी भुगतान संबंधी प्रपत्र एवं रसीदे दाखिल की गई है।

साक्षी पी.डब्लू.-1 के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित राजस्व निर्धारण एवं शमन शुल्क जमा किया जा चुका है।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया एवं उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य, परिस्थितियों एवं सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर यह

(3)

न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपना यह कथानक कि अभियुक्त को अपने परिसर पर बिना बकाया विद्युत बिल जमा किये पूर्व में विच्छेदित किये गये संयोजन को अनाधिकृत रूप से विद्युत केबिल जोड़कर विद्युत का उपभोग करते हुए पाया गया, को युक्तियुक्त सन्देह से परे स्थापित एवं प्रमाणित किया है। किन्तु इस मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों से यह भी साबित होता है कि अभियुक्त द्वारा विद्युत विभाग में राजस्व निर्धारण एवं शमन शुल्क जमा किया जा चुका है, इस आशय का विद्युत विभाग द्वारा जारी प्रपत्र भी बचाव पक्ष द्वारा दाखिल किया गया है।

अभियोजन द्वारा इस स्तर पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह दर्शित हो कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई वाद पूर्व में शमन शुल्क जमा करने के आधार पर निर्णीत किया गया हो। ऐसी स्थिति में विद्युत अधिनियम की धारा 152(3) के अनुसार इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का कोई आधार नहीं है।

अतः अभियुक्त वशीम, धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनियम (संशोधन), 2003 के आरोप से, इस अधिनियम की धारा 152(3) के अनुक्रम में, दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त वशीम पुत्र स्व० मो० सलीम, निवासी ग्राम कैथी, थाना सुबेहा, जिला बाराबंकी, को धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनियम (संशोधन), 2003 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभूपत्र निरस्त कर प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक: 01.06.2026

(असद अहमद हाशमी)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट),
बाराबंकी।
J.O. Code UP 6327

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: 01.06.2026

(असद अहमद हाशमी)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट),
बाराबंकी।
J.O. Code UP 6327